फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

..........सद्दाम..........बनाम..........आसुलाल गोरा..........

किस्म मुकदमा..........राजस्व आवेदन..........मुकदमा नम्बर..........147/2024

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/5/24	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री..........मुकिम खान समेजा..........यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..........आदेश 9 नियम 4..........राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..........10/06/24..........को पेश हो ।	
10/6/24	पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 19/6/24 को पेश हो।	
19/06/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विप्रार्थीगण के सम्मन Registered प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पुन: बहाल करने राजस्व वाद स. 40/23 आदेश दिनांक 14/03/24 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 CPC पर बहस सुनने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस मे कथन किया कि उपरोक्त अनवान का वाद न्यायालय मे विचाराधीन था जो न्यायालय	

को खारिज कर दिया गया।
द्वारा दिनांक 14/03/24 को खारिज कर दिया गया। दिनांक 14/03/24 को वकील की अनुपस्थिति में अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर दिया जिसकी पेशी तारीख 04/03/24 को वादी वकील को आगामी पेशी तारीख 25/03/24 दे रखी थी तथा बाद में पेशी तारीख में फ़ार हार कर 14/03/24 कर दी जिसकी सूचना वादी व वकील को नहीं दी तथा वादी को इस बात का ज्ञान नहीं था इस कारण अदालत हाजा में उप. नहीं हो सके वादी वकील ने वादी को पेशी तारीख पर आने से मना कर रखा था। इस कारण वादी उप. नहीं हो सका। वादी जानबूझकर अनुपस्थित नहीं हुआ बल्कि उपरोक्त कारण की वजह से उप नहीं हुआ। वकील की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती। वादी को वाद खारिज करने से पूर्व वादी को सूचित भी नहीं किया तथा नहीं न्यायालय द्वारा वादी को कोई नोटिस दिया गया। वादी को इस बात की जानकारी तब हुई जब प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने लगे तब वादी ने प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम्हारा दावा अदालत में खारिज हो गया है तब वादी को इस बारे में जानकारी हुई जानकारी प्राप्त होने की तारीख से प्रार्थना पत्र अंदर अवधि पेश है। अत: निवेदन है कि वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पुन: बरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 CPC को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा वाद को पुन: बरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।